

राजस्थान सरकार  
राजस्व ईशुप-6 है विभाग

प्रेषित :-

- 1- समस्त सम्भालोय आयुक्त , राजस्थान ।
- 2- समस्त जिला कलेक्टर , राजस्थान ।
- 3- निबन्धक , राजस्व मण्डल , अजमेर ।

क्रमांक : प ०५१२। ईराज-४/८०/८३-६/८ जयपुर, दिनांक २६ अगस्त १९८४

-: परिपत्र :-

विषय:- उत्तों को सीमा पर पत्थरगढ़ी करने के सम्बन्ध में ।

=====

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम , 1956 को धारा - 128 में उत्तों के सीमा विवाद के प्रकरणों को निपटारे के प्रावधान दिए हुए हैं। इन प्रावधानों के अन्तर्गत उत्तों को सीमा के विवाद भू-अभिलेख अधिकारों द्वारा अधिनियम की धारा - 111। मेंदिए गए तरोंके से ही निपटायें जायेंगे। साथ हो जिन सामनों में विवाद नहीं हो उनका निपटारे हेतु तहसीलदार को अधिकृत किया गया है। राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक ५१२। ईराजस्व-४/८०/३६ दिनांक ४-९-८२ के द्वारा ये निर्देश भी दिए गए हैं कि धारा - 128 के तहत अविवादित सीमा ज्ञान के सामनों को निपटारे के लिए तहसीलदारों को दिए गए अधिकारों का प्रयोग सम्बन्धित प्राप्त पंचायत भी करेंगी। इस प्रयोजनार्थ जो प्रार्थना पत्र तहसीलदार को प्राप्त होते हैं उन्हें तहसीलदार अपने यहाँ इन्द्राज कर लम्बन्धित ग्राम पंचायत को प्रेषित करेंगा। ग्राम पंचायत इन प्रार्थना - पत्रों का निपटारा प्रार्थना पत्र को प्राप्ति के 45 दिन के भीतर करेंगी। यदि ग्राम पंचायत 45 दिन में निपटारा नहीं करता है तो ऐसे प्रार्थना - पत्र वापिस तहसीलदार को वापस भेज दिया जायेंगे जो उन्हें प्राप्ति के 30 दिन के भीतर निपटायेंगे।

लोकेन इन प्रावधानों के बावजूद राज्य सरकार के यह ध्यान में लाया गया है कि सीमा विवाद प्रार्थना - पत्रों का निपटारा समय पर नहीं किया

जाता तथा इसमें अनावश्यक विलम्ब होता है जिससे कारतकारों को काफी कठिनाई होता है। अतः पुनः निर्देश दिए जाते हैं कि सभा विवाद के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रार्थना - पत्रों का निष्ठारण शांघ्र करवाया जावे तथा साथ ही जिला कलेक्टर को चाहिए कि जिला स्तर एवं उप उण्ड स्तर पर ऐसे प्रकरणों की सामिक्षा को जावे तथा प्रगति प्रतिवेदन सम्भागीय आयुक्त, अस्व उण्डल व राज्य सरकार को भी प्रेषित किए जायें। कृपया इन निर्देशों को समीचित बालना किया जाना सुनिश्चित करें।

१० प० ० सिध्दल  
रामन उप सचिव